

अन्तिम छिक्की व मुकदमे इब्बानाई  
(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्बा दीवानी)

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नगर (डीग)

पीठासीन अधिकारी -अनुराग हरित (आर.ए.एस.)

दावा नं० 54/22

दायर दिनांक:10-10-2022

- 1- लक्ष्मनसिंह पुत्र छिददी सिंह
- 2- बलवीर सिंह पुत्र बिहारी सिंह - फौत
- 2/1-प्रकाशवती पत्नि बलवीर सिंह
- 2/2-मनीष सिंह पुत्र बलवीर सिंह
- 2/3-मरोजरानी पुत्री बलवीर सिंह
- 2/4-कुमुद सिंह पुत्री बलवीर सिंह
- 3- तोरनसिंह पुत्र छिददी सिंह
- 4- गजेन्द्र सिंह पुत्र जवाहर सिंह
- 5- रामचरण पुत्र श्यामसिंह जातियान जाट, निवासी ग्राम बरखेडा फौजदार, तहसील नगर, जिला डीग, प्रांत राज०-

----- वादीगण

बनाम

- 1- महेन्द्र कुमार पुत्र जवाहर सिंह
- 2- सुरेन्द्र सिंह पुत्र जवाहर सिंह
- 3- नरेन्द्रसिंह पुत्र जवाहर सिंह
- 4- देवेन्द्र सिंह पुत्र जवाहर सिंह
- 5- शैलेष सिंह पुत्र दिगम्बर सिंह
- 6- शिल्पीसिंह पुत्री दिगम्बर सिंह
- 7- चन्द्रपाल सिंह पुत्र छिददीसिंह
- 8- सुधीर सिंह पुत्र राजवीर सिंह
- 9- पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र राजवीर सिंह

- 10- विपिन कुमार पुत्र राजवीर सिंह
- 11- माधना पुत्री राजवीर सिंह
- 12- बबीता पुत्री राजवीर सिंह
- 13- कलुआ पुत्र सुखराम
- 14- गुलाब पुत्र सुखराम
- 15- फूलसिंह पुत्र सुखराम
- 16- कालपाल सिंह पुत्र पदमसिंह
- 17- रामबाबु पुत्र पदमसिंह
- 18- शान्ती पत्नि पदमसिंह
- 19- सुगदीया पुत्र खजानसिंह
- 20- राजवीरसिंह पुत्र खजानसिंह
- 21- निरंजनसिंह पुत्र रामचरण
- 22- भरतसिंह पुत्र रामचरण जानि जाट, निवामी ग्राम बरखेडा फौजदार, तहसील नगर, जिला डीग, प्रांत राज०
- 23- छमसिंह पुत्र खजानसिंह
- 24- सखवती पत्नि ईश्वर सिंह, जानियान गुर्जर, निवामी ग्राम खखावली, तहसील नगर, जिला डीग
- 25- तहसीलदार, तहसील नगर

-----प्रतिवादीगण

दावा वावत विभाजन एवं उदघोषणा अंतर्गत धारा 88, 89, 53 आर.टी.एक्ट.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू हमारे बहाजरी वादी श्री दीनदयाल गार्ग अभिभाषक मिनजानिब मुद्दई श्री देशराज सिंह मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है कि ग्राम शेखपुरा के आराजी खसरा नंबर 58/0.56 का 1/2 हिस्सा महेन्द्र कुमार व 1/2 हिस्सा सुरेन्द्र सिंह के हिस्से में तथा आराजी खसरा नंबर 59/0.54 का 1/2 हिस्सा लक्ष्मणसिंह व 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण सं. 8 लगायत 12 सुधीरसिंह, पुष्पेन्द्र सिंह, विपिन कुमार, माधना, बबीता वहिस्सा बराबर रहेगा। बाके ग्राम बाजाहेडा के आराजी खसरा नंबर 2/0.63 का 24/63 हिस्सा, तोरनसिंह का 19/63 हिस्सा, बलवीर सिंह का 20/63 हिस्सा, महेन्द्र कुमार, सुरेन्द्र सिंह, नरेन्द्र सिंह, वहिस्सा बराबर रहेगा। ग्राम बरखेडा फौजदार के खसरा नंबर 27/0.23 का 1/2 हिस्सा गजेन्द्रसिंह व 1/2 हिस्सा शैलेप सिंह, शिल्पी सिंह वहिस्सा बराबर रहेगा तथा आराजी खसरा नंबर 28/0.29 का सम्पूर्ण हिस्सा कलुआ, गुलाबसिंह, फूलसिंह पिस० सुखराम वहिस्सा बराबर रहेगा तथा आराजी खसरा नंबर 139/0.27 का 22/27 हिस्सा रामचरण, 3/27 हिस्सा भरतसिंह, 2/27 हिस्सा निरंजनसिंह के हिस्से में रहेगा। सहखातेदारान के नाम कलमजन किये जावेगे।

लक्ष्मनसिंह बनाम महेन्द्र कुमार बगै०

ग्राम खेडली तहसील नगर आराजी खसरा नंबर 631/0. 55 सम्पूर्ण बलवीर सिंह, 659/0.37 का 1/2 हिस्सा बलवीर सिंह व 1/2 हिस्सा लक्ष्मनसिंह के हिस्से में रहेगा अन्य महखानेदारों के नाम उक्त आराजी से कलमजन किये जावेगे। इसी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण को खानेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नगर को आदेश दिये जाते हैं कि वो उक्तानुसार हाल राजस्व रेकार्ड में संशोधित इन्द्राज दर्ज करें।

इसकी वसूत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23.09.2024 को जारी की

(अनुराग हरित)RAS

उपखण्ड अधिकारी

नगर (डीग) अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी  
नगर (डीग) राज०

